रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-73 REGISTERED No. D(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 6, 1975/भाद्र 15, 1897
No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 6, 1975/BHADRA 15, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1975

सा० का० नि० 2323.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय, में अभिलेखागारिक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भः—(1) इन नियमों का नाम कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग अभिलेखागारिक भर्ती नियम 1975 है ;

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या वर्गीकरण तथा वेतनमानः—उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतन मान संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में दिये गए अनुसार होगा।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदिः—उक्त पद से संबंधित भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक में दिये गये अनुसार होंगे।

4. अनर्हताः—ऐसा कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का समझौता किया हो जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो अथवा,

(ख) जिसने अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का करार किया हो। उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति पर और विवाह करने वाले दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत इस प्रकार के विवाह की अनुमति दी जा सकती है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हों तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के बंधन से छूट दे सकती है।

5. छूट देने की शक्तिः—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है तो वह संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी भी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी भी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

68 GI/75—1

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ विभाग)

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1975

सा० का० नि० 2530.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 (1970 का 48) की धारा 4 और धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) नियम, 1975 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :—

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "अधिनियम" से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) अभिप्रेत है ।

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ।

(ग) "अध्यक्ष" से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है ।

(घ) "रिटर्निंग आफिसर" से ऐसा कोई आफिसर अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इन नियमों के प्रयोजनों के लिए नियुक्त किया गया हो ।

(ङ) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रत है ।
धारा 3 की खण्ड (क) उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय परिषद् का निर्वाचन ।

3. मत देने के लिये हकदार व्यक्ति

धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन, यथास्थिति, आयुर्वेद, सिद्ध अथवा यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय चिकित्सा राज्य रजिस्टर में आयुर्वेद, सिद्ध अथवा यूनानी चिकित्सा पद्धति के व्यवसायियों के रूप में जो नामावलिगत हों, वे सभी व्यक्ति सदस्यों के निर्वाचन में मत देने के हकदार होंगे ।

4. भारतीय चिकित्सा राज्य रजिस्टर की प्रतियों का प्रदर्शन :—

भारतीय चिकित्सा—राज्य रजिस्टर की प्रतियां संबंद्ध राज्य के रिटर्निंग आफिसर के तथा बोर्ड के कार्यालय में प्रदर्शित की जाएंगी ।

(2) प्रदर्शन से पूर्व इस रजिस्टर को अद्यतन कर लिया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए रिटर्निंग आफिसर संबंद्ध बोर्ड के रजिस्टार को (चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो), जो उस राज्य में इस रजिस्टर को रखता है, एक मास की सूचना देगा ।

5. रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन आयोजित करेगा

यथास्थिति, आयुर्वेद, सिद्ध अथवा यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करने के लिए धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अवधारित संख्या में सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए रिटर्निंग आफिसर भारतीय चिकित्सा—राज्य रजिस्टर में आयुर्वेद, सिद्ध अथवा यूनानी चिकित्सा पद्धति के व्यवसायियों के रूप में नामावलिगत को आहूत करेगा ।

6. निर्वाचन में खड़े होने अथवा मत देने वाले व्यक्तियों के अधिकार से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय रिटर्निंग आफिसर करेगा ।

यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि व्यक्ति निर्वाचन में मत देने अथवा खड़े होने का हकदार है या नहीं, तो ऐसा प्रश्न रिटर्निंग आफिसर को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो उसका विनिश्चय करेगा ।

7. निर्वाचन के विभिन्न प्रश्नों की तारीखों का नियत किया जाना ।

रिटर्निंग आफिसर निम्नलिखित के लिए तारीख, समय और स्थान नियत करेगा और उसको राजपत्र द्वारा और ऐसी अन्य रीति से अधिसूचित करेगा जिसे वह ठीक समझेगा ।

(क) नाम निर्देशन पत्रों का प्राप्त होना तथा उनकी संवीक्षा ।

(ख) निर्वाचकों को मतपत्र भेजना ।

(ग) मतदान और

(घ) मतों की संवीक्षा अतुर गणना ।

8. अभ्यर्थियों का नाम निर्देशन

धारा 5 के अधीन निर्वाचन में खड़े हुेने के लिए जो व्यक्ति अर्हित हो, उसे निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा और ऐसा नाम निर्देशन प्ररूप 1 में नाम निर्देशन पत्र द्वारा किया जाएगा जो उसके लिए आवेदन करने वाले निर्वाचक को रिटर्निंग आफिसर द्वारा किया जाएगा ।

9. नाम निर्देशन पत्र

(1) प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र पर दो निर्वाचकों द्वारा, प्रस्तावक का तथा अनुमोदक के रूप में, हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा उसमें एक घोषणा होगी जिस पर प्रस्तावित व्यक्ति द्वारा, निर्वाचन में खड़े होने के लिए अपनी सम्पत्ति देते हुए हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

किन्तु कोई भी निर्वाचक जिस चिकित्सा पद्धति में व्यवसायी के रूप में वह रजिस्ट्रीकृत हो, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए संबंधित राज्य से जितने स्थान भरे जाने हों उनसे अधिक नाम-निर्देशनों पर हस्ताक्षर नहीं करेगा ।

किन्तु यह और कि यदि उसी निर्वाचक द्वारा विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक नाम-निर्देशित पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाए, जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा जो नाम-निर्देशन पत्रों में से सर्व-प्रथम प्राप्त किए जाएंगे, यदि वे अन्यथा ठीक हों, तो उन्हें विधिमान्य समझा जाएगा और यदि उसी निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षरित विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग आफिसर द्वारा साथ-साथ प्राप्त किए जाएंगे तो ऐसे सभी नाम-निर्देशन पत्र अविधिमान्य समझे जाएंगे ।

(2) प्रत्येक नाम-निर्देशन पत्र के प्राप्त होने पर रिटर्निंग आफिसर तुरन्त उस पर प्राप्ति की तारीख और समय अंकित करेगा ।

10. नामनिर्देशन पत्र का नामजूर जाना

ऐसे किसी भी नाम निर्देशन पत्र को जो उस निमित नियत तारीख और समय से पूर्व प्राप्त न हो, नामंजूर कैर दिया जाएगा ।

11. नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा करना

(1) रिटर्निंग आफिसर द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा करने के लिए नियत की गई तारीख और समय पर अभ्यर्थी और प्रत्येक अभ्यर्थी का प्रस्तावक तथा अनुमोदक रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में उपस्थित हो सकेंगे और रिटर्निंग आफिसर उन्हें ऐसे अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्रों की जांच करने देगा जो यथा उपर्युक्त उसके द्वारा प्राप्त हो चुके हैं।

(2) रिटर्निंग आफिसर नाम निर्देशन पत्रों की जांच करेगा और किसी नाम निर्देशन पत्र की विधिमान्यता विषयक उन सभी प्रश्नों का विनिश्चय करेगा जो उद्‌भूत हों ।

(3) रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक नाम-निर्देशन पत्र पर, उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का अपना विनिश्चय पृष्ठांकित करेगा, और यदि नाम-निर्देशन पत्र अस्वीकार किया जाए तो वह उसे अस्वीकार करने के अपने कारणों का संक्षिप्त विवरण लेख-बद्ध करेगा।

12. अभ्यर्थिता वापिस लेना

(1) कोई भी अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के पश्चात् सात दिनों के भीतर, लिखित रूप में अपने द्वारा हस्ताक्षरित सूचना द्वारा और उसे रिटर्निंग आफिसर को परिदत्त करके अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकेगा।

(2) ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली हो, वापिसी रद्द करने की या उसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में पुनः नाम-निर्दिष्ट होने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(3) रिटर्निंग आफिसर, वापस लेने की सूचना होने पर ऐसे वापस प्राप्त लेने के तथ्य को राजपत्र में प्रकाशित करेगा।

13. मतदान

(1) जहां सम्यकतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की संख्या संबंध राज्य के, यथास्थिति, आयुर्वेद, सिद्ध अथवा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर हो अथवा उससे कम हो, वहां रिटर्निंग आफिसर तुरन्त ऐसे अभ्यर्थियों को सम्यकतः निर्वाचित घोषित कर देगा।

(2) जहां ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या इस प्रकार से निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या से कम हो, वहां रिटर्निंग आफिसर धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन निर्वाचित किए जाने वाले शेष सदस्यों के निर्वाचन के लिए पुनः कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

जहां ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या संबंध राज्य के, यथास्थिति, आयुर्वेद, सिद्ध अथवा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो, वहां रिटर्निंग आफिसर उनके नाम और पते राजपत्र में प्रकाशित करेगा और प्ररूप 11 के मतपत्रों में भी उनके नाम दर्ज करवाएगा।

(4) यदि मतदान कराना आवश्यक समझा जाए, तो रिटर्निंग आफिसर, उसके लिए नियत की गई तारीख से 30 दिन पूर्व, डाक से प्ररूप 4 में एक प्रज्ञापन पत्र प्रत्येक मतदाता को भेजेगा और उसके साथ-साथ वह प्ररूप 3 में संख्यांकित घोषणा पत्र प्ररूप 2 में मतपत्र, जिसमें अभ्यर्थी के नाम वर्णक्रम में दिए हुए हों और रिटर्निंग आफिसर के आद्याक्षर अथवा प्रतिकृत हस्ताक्षर हों, मतपत्र-लिफाफा जो रिटर्निंग आफिसर को संबोधित हो, और एक बाह्य लिफाफा भी जो उसी को सम्बोधित हो, भेजेगा और प्रत्येक मतदाता को भेजे गए ऐसे प्रत्येक प्रज्ञापन पत्र के बारे में एक डाक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया जाएगा

किन्तु यदि रिटर्निंग आफिसर का समाधान हो जाए कि मतदाता के पास मत पत्र और उससे सम्बन्धित अन्य कागज-पत्र नहीं भेजे गए हैं तो मतदान के लिये नियत की गई तारीख से पूर्व मतदाता के रिटर्निंग आफिसर से वे कागजपत्र भेज देने के लिये आवेदन किये जाने पर वे कागज पत्र उसे भेजे जा सकेंगे।

(5) ऐसा मतदाता, जिसे कि उसको डाक से भेजे गए पत्र तथा उससे सम्बन्धित कागजपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं या जिसने ये कागजपत्र खो दिये हैं या जिसके मामले में रिटर्निंग आफिसर को कागजपत्र वापस भेजने से पूर्व वे कागजपत्र अनवधानता से खराब हो गए हों, उस आशय की अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा भेज सकेगा और रिटर्निंग आफिसर से मतदान के लिये नियत तारीख से सात दिन के पहले यह अनुरोध कर सकेगा कि वह उसे नए कागजपत्र भेज दे और यदि कागजपत्र खराब हो गए हों तो वे खराब हुए कागजपत्र रिटर्निंग आफिसर को वापस कर दिये जाएंगे जो प्राप्ति पर उन्हें रद्द कर देगा।

(6) ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें नए कागजपत्र जारी किये गए हैं, भारतीय चिकित्सा राज्य रजिस्टर की एक प्रति में मतदाता के नाम से सम्बन्धित संख्या के सामने यह प्रगट करने के लिये एक चिह्न लगा दिया जाएगा कि उसे नए कागजपत्र जारी किये गए हैं।

(7) प्रत्येक मतदाता को उतने मत प्राप्त होंगे जितनी संख्या में, यथास्थिति, आयुर्वेद, सिद्ध अथवा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करने के लिये सम्बद्ध राज्य से सदस्य निर्वाचित किये जाने हैं, किन्तु वह किसी एक अभ्यर्थी को केवल एक ही मत देगा।

(8) किसी भी मतदाता को उसका मतपत्र न मिलने के कारण से कोई भी निर्वाचन अविधिमान्य नहीं होगा।

14. मतपत्रों का रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाना

प्रत्येक मतदाता जो अपना मत अभिलिखित करने का इच्छुक है, प्रज्ञापन-पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार घोषणा पत्र और मतपत्र भरने के पश्चात्, मतपत्र को मतपत्र-लिफाफे में रखेगा, इस लिफाफे को चिपकायेगा, इस लिफाफे और घोषणा पत्र को रिटर्निंग आफिसर को संबोधित बाह्य लिफाफे में बन्द करेगा और मतदाता के खर्च पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा रिटर्निंग आफिसर को संबोधित करते हुए भेज देगा या इसको रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में स्वयं परिदत्त करेगा ताकि यह उसके पास मतदान की नियत तारीख को सांय पांच बजे तक पहुंच जाएं और उस दिन या समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले या अरजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्राप्त होने वाले सभी लिफाफों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

15. रिटर्निंग आफिसर द्वारा पृष्ठांकन

ऐसे लिफाफों की प्राप्ति पर, जिनमें घोषणा पत्र और मतपत्र वाला बंद लिफाफा हो, रिटर्निंग आफिसर बाह्य लिफाफों पर उसकी प्राप्ति की तारीख और समय पृष्ठांकित करेगा।

16. जब रजिस्ट्रीकृत लिफाफे खोले जाएं तब अभ्यर्थी उपस्थित हो सकेंगे

(1) रिटर्निंग आफिसर इन बाह्य लिफाफों को मतदान के लिए नियत दिन के सायं 5 बजे के तुरन्त पश्चात् उसी स्थान पर खोलेगा जिस पते पर ये लिफाफे उसे संबोधित किए गए हैं।

(2) इन बाह्य लिफाफों को खोलने के समय पर कोई भी अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हो सकेगा अथवा लिखित रूप से अपने द्वारा सम्यकतः प्राधिकृत एक प्रतिनिधि को वहां हाजिर होने के लिए भेज सकेगा।

17. मतपत्रों का नामंजूर किया जाना

(1) रिटर्निंग आफिसर द्वारा कोई भी मतपत्र उस दशा में नामंजूर किया जाएगा जबकि :—

(क) मतपत्र—लिफाफे के बाहर बाह्य लिफाफे में कोई घोषणा पत्र न हो, या

(ख) घोषणा पत्र वही घोषणा पत्र न हो जिसे रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदाता को भेजा गया था, या

(ग) घोषणा पत्र पर मतदाता के हस्ताक्षर न हों, या

(घ) मतपत्र, मतपत्र-लिफाफे के बाहर रखा गया हो, या

(ङ) एक ही बाह्य लिफाफे में एक से अधिक घोषणा पत्र या मत-पत्र-लिफाफे बंद किए गए हों, या

(च) घोषणा पत्र में मतदाता द्वारा राज्य रजिस्ट्रीकरण संख्या न दी गई हो ।

(2) प्रत्येक नामंजूर की दशा में मतपत्र-लिफाफे और घोषणा पत्र, यदि कोई हो, पर "नामंजूर" शब्द पृष्ठांकित किया जाएगा ।

(3) रिटर्निंग आफिसर, अपना समाधान कर लेने पर कि मतदाताओं ने घोषणा पत्रों पर अपने हस्ताक्षर किए हैं, नियम 20 के अधीन निबटारा होने तक सभी घोषणा पत्रों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ।

18. मतपत्रों की संवीक्षा और गणना

(1) रिटर्निंग आफिसर मतपत्रों की संवीक्षा और गणना करने के प्रयोजन के लिए अपने द्वारा इस निमित्त नियत की गई तारीख और समय तथा स्थान पर हाजिर होगा ।

परन्तु इस प्रकार नियत की गई तारीख मतदान के लिए नियत की गई तारीख से तीन दिन के भीतर होगी ।

(2) नियम 17 के अधीन नामंजूर किए गए मतपत्र लिफाफों को छोड़कर, सभी मतपत्र लिफाफे खोले जाएंगे और उनमें से मतपत्रों को निकाल कर एक साथ मिला दिया जाएगा और तत्पश्चात् मतपत्रों की संवीक्षा की जाएगी और विधिमान्य मतों की गणना की जाएगी ।

(3) मतपत्र उस दशा में अविधिमान्य होगा जबकि—

(क) उस पर रिटर्निंग आफिसर के आद्यक्षर अथवा प्रतिकृत हस्ताक्षर न हों, या

(ख) उस पर मतदाता ने अपने नाम के हस्ताक्षर किए हों या कोई ऐसा शब्द लिखा हो या कोई ऐसा चिह्न अंकित किया हो जिससे यह पहिचाना जा सके कि यह मतपत्र उसका है, या

(ग) उस पर कोई भी मत अभिलिखित न किया गया हो, या

(घ) उस पर अभिलिखित मतों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक हों, या

(ङ) दिए गए मत के बारे में अनिश्चितता हो ।

(4) मतपत्रों की गणना की प्रक्रिया को देखने के लिए कोई भी अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हो सकेगा अथवा लिखित रूप से अपने द्वारा सम्यकत: प्राधिकृत एक प्रतिनिधि को भेज सकेगा ।

(5) रिटर्निंग आफिसर, अभ्यर्थियों या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को, यदि वे इसका अनुरोध करें, मतपत्रों की संवीक्षा और गणना करते समय मतपत्र दिखाएगा ।

(6) यदि किसी मतपत्र के बारे में इस आधार पर कि वह विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं या रिटर्निंग आफिसर द्वारा किसी नामंजूर का अनुपालन नहीं करता है, कोई आक्षेप किया जाए, तो रिटर्निंग आफिसर द्वारा तुरन्त इसका विनिश्चय किया जाएगा ।

(7) रिटर्निंग आफिसर उतनी संख्या में संवीक्षक नामनिर्दिष्ट करेगा जितनी वह ठीक समझता है और वे सरकार के राजपत्रित अधिकारी होंगे ।

19. परिणाम की घोषणा

(1) जब मतों की गणना पूरी हो जाये तो रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम मतों के क्रम में अभ्यर्थियों की एक सूची बनाएगा और प्रत्येक द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम मतों के क्रम सफल अभ्यर्थियों के परिणाम की घोषणा करेगा और भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के अनुसार क्रम में सफल अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित करेगा और सफल अभ्यर्थी को उसके इस परिषद् में निर्वाचित होने की डाक द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा या ऐसी अन्य रीति से, जिसे वह ठीक समझे, तत्काल सूचना देगा ।

(2) जब किन्हीं अभ्यर्थियों को बराबर मत मिले हों और परिणाम की घोषणा करने में कठिनाई हो, तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का, जिसे जिन्हें निर्वाचित हुआ समझा जाएगा, अवधारण रिटर्निंग आफिसर की उपस्थिति में पर्ची डाल कर और ऐसी रीति से किया जाएगा जिसे वह विनिश्चित करे।

20. मतपत्रों का छ: महीने के लिए रखा जाना

रिटर्निंग आफिसर, मत गणना के पूरा होने पर और अपने द्वारा परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात् मतपत्रों और निर्वाचन संबंधी अन्य सभी दस्तावेजों को मुहरबंद करेगा और उन्हें छ: महीने की अवधि पर्यन्त रखेगा और वह इन अभिलेखों को छ: महीने के पश्चात् भी केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना न तो नष्ट करेगा और न नष्ट करवाएगा ।

21. चुनाव का परिणाम

रिटर्निंग आफिसर निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम केन्द्रीय सरकार को प्रज्ञापित करेगा, जो निर्वाचित व्यक्तियों के नाम राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिए उपाय करेगी ।

धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिषद् का निर्वाचन

22. विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि

(1) विश्वविद्यालय के सदस्य की पदावधि समाप्त हो जाने के कारण रिक्ति होने की तारीख से नब्बे दिनों से पूर्व, इस बात की प्रज्ञापना अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार को देगा जो रिक्ति होने की तारीख से साठ दिन पूर्व संबद्ध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा एक सूचना भेजेगी जिसमें वह रजिस्ट्रार से उस तारीख तक, जो सूचना में दी गई तारीख से पश्चात् की न हो, निर्वाचन आयोजित करने का अनुरोध करेगी ।

(2) उप-नियम (1) में यथा उल्लिखित से अन्यथा होने वाली रिक्ति की दशा में, अध्यक्ष यथाशीघ्र संभव, केन्द्रीय सरकार को रिक्ति होने के बारे में अधिसूचित करेगा और तदुपरान्त केन्द्रीय सरकार सम्बद्ध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा एक सूचना भेजेगी जिसमें वह रजिस्ट्रार से उस तारीख तक, जो सूचना में दी गई तारीख से पश्चात् की न हो, रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन आयोजित करने का अनुरोध करेगी ।

(3) धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन प्रथम निर्वाचन के प्रयोजन के लिए यह पर्याप्त होगा कि केन्द्रीय सरकार प्रत्येक सम्बद्ध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा एक ऐसी सूचना भेज दे जिसमें वह रजिस्ट्रार से उस तारीख तक जो सूचना में दी गई तारीख से पश्चात् की न हो, निर्वाचन आयोजित करने का अनुरोध करती है ।

23. संकाय अथवा विभाग द्वारा निर्वाचन

विश्वविद्यालय के प्रत्येक आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धति के संकाय या विभाग (चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो) के सदस्य

यूनानी-अपनी चिकित्सा पद्धति के लिए ऐसी रीति से एक सदस्य का निर्वाचन करेंगे जो विश्वविद्यालय का कुलपति ठीक समझता हो ।

24. निर्वाचित व्यक्ति के नाम की केन्द्रीय सरकार को प्रज्ञापना--

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा निर्वाचित व्यक्ति के नाम की प्रज्ञापना केन्द्रीय सरकार को दी जाएगी, जो निर्वाचित व्यक्ति का नाम राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिए उपाय करेगी ।

[सं० वी० 26012/1/74-ए ई]
पी० वी० हरिहरशंकरण, उप सचिव

प्ररूप संख्या-I

नाम निर्देशन पत्र (नियम 8 देखें)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड क के अधीन निर्वाचन ।

1. अभ्यर्थी का नाम
2. पिता का नाम
3. आयु
4. अर्हता की प्रकृति
5. भारतीय चिकित्सा राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण संख्या
6. पता (निवास का)
7. प्रस्तावक के हस्ताक्षर
8. भारतीय चिकित्सा राज्य रजिस्टर में प्रस्तावक की रजिस्ट्रीकरण संख्या ।
9. अनुमोदक के हस्ताक्षर
10. भारतीय चिकित्सा राज्य रजिस्टर में अनुमोदक की रजिस्ट्रीकरण संख्या

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं इस नाम-निर्देशन से सहमत हूं ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

इस नाम निर्देशन पत्र को मैंने (तारीख) को बजे प्राप्त किया ।

रिटर्निंग आफिसर

अनुदेश

1. जो नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग आफिसर के पास (तारीख) को☐बजे से पहले नहीं पहुंचते उन्हें रद्द कर दिया जायगा ।

2. प्रस्तावक और अनुमोदक के नाम, जैसे कि वे भारतीय चिकित्सा राज्य रजिस्टर में दिए गए हैं, तथा उनकी रजिस्ट्रीकृत अर्हताएं उनके अपने-अपने हस्ताक्षरों के नीचे स्पष्टत: लिखी जानी चाहिए ।

प्ररूप II मतपत्र

[नियम 13(3) देखें]

क्रम संख्या

मत पत्र

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 3 (1) (क) के अन्तर्गत निर्वाचित किया जाने वाला/किए जाने वाले सदस्य (शब्दों में)

क्रम संख्या *आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी चिकित्सा पद्धतियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सम्यक्त: नाम मत

निर्दिष्ट किए गए अभ्यर्थियों के नाम तथा पते

रिटर्निंग आफिसर

अनुदेश

1. प्रत्येक मतदाता को उतनी संख्या में मत प्राप्त हैं जितनी संख्या में सदस्य निर्वाचित किए जाने हैं ।

2. प्रत्येक मतदाता किसी एक अभ्यर्थी को केवल एक ही मत देगा ।

3. जिस/जिन अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों को वह मत देना चाहता है उस/उन के नाम के सामने "×" का चिन्ह लगाकर वह मत देगा ।

4. मत पत्र उस दशा में अविधिमान्य होगा जबकि

(क) उस पर रिटर्निंग आफिसर के आद्याक्षर या प्रतिकृत हस्ताक्षर न हों, या

(ख) उस पर मतदाता ने अपने नाम के हस्ताक्षर किए हों या कोई ऐसा शब्द लिखा हो या कोई ऐसा चिन्ह अंकित किया हो, जिससे वह पहिचाना जा सकेगा कि वह मत पत्र उसका है, या

(ग) उस पर कोई भी मत अभिलिखित न किया गया हो, या

(घ) उस पर अभिलिखित मतों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक हो, या

(ङ) दिए गए मतों के बारे में अनिश्चितता हो ।
संख्या शब्दों में लिखें ।

*जो लागू न होता हो उसे काट दें ।

प्ररूप संख्या III

[नियम 13(4) देखें]

घोषणा पत्र

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् का निर्वाचन ।

क्रम संख्या
निर्वाचक का नाम
भारतीय चिकित्सा--राज्य रजिस्टर में संख्या

निर्वाचक की घोषणा

मैं (पूरा नाम)
तथा पद नाम, यदि कोई हो घोषित करता हूं कि मैं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक हूं और मैंने इस निर्वाचन में किसी अन्य मतपत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं ।

हस्ताक्षर

स्थान
तारीख

प्ररूप संख्या-IV

[नियम 13(4) देखें]

प्रज्ञापना पत्र

महोदय/महोदया,

इन व्यक्तियों को जिनके नाम इससे संलग्न मतपत्र में मुद्रित हैं* आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों के

*जो लागू न होता हो उसे काट दें ।

रूप में सम्यकतः नाम-निर्दिष्ट किया गया है । यदि आप इस निर्वाचन में अपना मत देना चाहते हैं तो मैं अनुरोध करता हूं कि आप—

(क) घोषणापत्र को भरें और उस पर हस्ताक्षर करें ।

(ख) जैसे कि मतपत्र में निर्देश दिया गया है आप इस प्रयोजन के लिए उपबंधित स्तम्भ में अपना मत/अपने मत चिन्हित करें ।

(ग) मतपत्र को छोटे लिफाफे में जिसे इसके पश्चात् मतपत्र लिफाफा कहा गया है, बंद करें और उसे चिपका दें, और

(घ) छोटे लिफाफे और घोषणापत्र को मुझे सम्बोधित बाह्य लिफाफे के साथ संलग्न करें और उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा मुझे वापस भेजें अथवा मेरे कार्यालय में स्वयं दें ताकि वह मुझे 19 को 5 बजे से पहले पहुंच जाए । मतपत्र लिफाफे को उस दशा में नामंजूर किया जायेगा, जबकि

(क) उस बाह्य लिफाफे को जिसमें मतपत्र लिफाफा बंद है रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा न भेजा जाए या उसे लाकर मेरे कार्यालय में नहीं दिया जायेगा या वह निर्वाचन समाप्त होने के लिए नियत दिन और समय के पश्चात् पहुंचे या

(ख) मतपत्र लिफाफे के बाहर बाह्य लिफाफे में कोई घोषणा पत्र न हो, या

(ग) घोषणा पत्र वही घोषणा पत्र न हो जिसे रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदाता को भेजा गया था, या

(घ) घोषणा पत्र पर निर्वाचक के हस्ताक्षर न हों, या

(ङ) मतपत्र, मतपत्र लिफाफे के बाहर रखा गया हो, या

(च) एक ही बाह्य लिफाफे में एक से अधिक घोषणापत्र या मतपत्र लिफाफे बंद किए गए हों, या

(छ) घोषणापत्र में निर्वाचक द्वारा राज्य रजिस्ट्रीकरण संख्या न दी गई हो ।

3. मतपत्र उस दशा में अविधिमान्य होगा जबकि

(1) उस पर रिटर्निंग आफिसर के आद्याक्षर अथवा प्रतिकृत हस्ताक्षर न हों, या

(2) उस पर मतदाता ने अपने नाम के हस्ताक्षर किए हों, या कोई ऐसा शब्द लिखा हो या कोई ऐसा चिन्ह अंकित किया हो जिससे पहिचाना जा सके कि वह मतपत्र उसका है, या

(3) उस पर कोई भी मत अभिलिखित न किया गया हो, या

(4) उस पर अभिलिखित मतों की संख्या, भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक हो, या

(5) दिए गए मतों के बारे में अनिश्चितता हो ।

4. यदि कोई मतदाता असावधानता से मतपत्र को खराब कर देता है तो वह उसे निर्वाचन के लिए नियत की गई तारीख के सात दिन के अन्दर रिटर्निंग आफिसर को वापस लौटा सकता है और यदि रिटर्निंग आफिसर इस असावधानता से सहमत हो जाता है तो वह उस मतदाता को एक अन्य मतपत्र जारी करेगा ।

5. मतपत्रों की संवीक्षा और उनकी गणना .... (स्थान) पर.......................(तारीख) को. .... बजे प्रारम्भ होगी । मतपत्रों की संवीक्षा तथा उनकी गणना के समय रिटर्निंग आफिसर तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें वह अपनी सहायतार्थ नियुक्त करे, और अभ्यर्थियों या उनके सम्यकतः प्राधिकृत प्रतिनिधियों को छोड़ कर और कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेगा ।

रिटर्निंग आफिसर

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 14th August, 1975

G.S.R. 2350.—In exercise of the powers conferred by section 4 and Section 35 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Medicine Central Council (Election) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires :

(a) 'Act' means the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970).

(b) 'Form' means a form annexed to these rules ;

(c) 'President' means the President of the Central Council of Indian Medicine ;

(d) 'Returning Officer' means any officer appointed as such by the Central Government for the purposes of these rules ;

(e) 'Section' means a section of the Act.

ELECTIONS TO THE CENTRAL COUNCIL UNDER CLAUSE (a) OF SUB-SECTION (1) OF SECTION 3.

3. **Persons entitled to vote.**—All persons whose names are enrolled on a State Register of Indian Medicine practitioners of Ayurveda, Siddha or Unani Systems of Medicine shall be entitled to vote at the election of members to represent the Ayurveda, Siddha or Unani System of Medicine, as the case may be, under Clause (a) of sub-section (1) of Section 3.

4. **Posting of copies of State Register of Indian Medicine.**—(1) Copies of the State Register of Indian Medicine shall be posted at the office of the Returning Officer and of the State concerned.

(2) The register shall be brought up-to-date before posting and for this purpose, the Returning Officer shall give one month's notice to the Registrar (by whatever name called) of the Board concerned, who maintains the register in the State.

5. **Returning Officer to hold the election.**—The Returning Officer shall call upon persons enrolled on the State Register of Indian Medicine a practitioners of Ayurveda, Siddha or Unani Systems of Medicine to elect such number of members, as is determined by the Central Government under clause (a) of sub-section (1) of Section 3, to represent Ayurveda, Siddha or Unani System of Medicine, as the case may be.

6. **Returning Officer to decide questions relating to right of persons to stand for or to vote at election.**—If any question arises as to whether a person is or is not entitled to vote in the election or to stand for the election the question shall be referred to the Returning Officer who shall decide the same.

7. Fixation of dates of various stages of elections.

The Returning Officer shall appoint and shall notify in the Official Gazette and in such other manner as he thinks fit, the date, time and place for:

(a) the receipt of the nomination papers and their scrutiny;

(b) the despatch of voting papers to the electors;

(c) the poll; and

(d) the scrutiny and counting of votes.

8. Nomination of candidates.

Any person qualified to stand for the election under Section 5 may be nominated as a candidate for election and such nomination shall be made by means of a nomination paper in Form I which shall be supplied by the Returning Officer to any elector who may apply for the same.

9. Nomination paper.

(1) Each nomination paper shall be subscribed by two electors as proposer and seconder and shall contain a declaration signed by the person proposed signifying his consent to stand for the election.

Provided that no elector shall subscribe more nominations than there are seats to be filled up from the State concerned to represent the system of medicine as practitioner of which he is registered.

Provided further that if more than the specified number of nomination papers be subscribed by the same elector, the nomination papers first received by the Returning Officer, shall, if otherwise in order, be held to be valid and if more than the specified number of nomination papers subscribed by the same elector be received simultaneously by the Returning Officer all such nomination papers shall be held to be invalid.

(2) On receipt of each nomination paper, the Returning Officer shall forthwith endorse thereupon the date and hour of receipt.

10. Rejection of nomination paper.

A nomination paper which is not received before the date and the time appointed in that behalf shall be rejected.

11. Scrutiny of nomination papers.

(1) On the date and at the time appointed by the Returning Officer for the scrutiny of the nomination papers, the candidates and the proposer and the seconder of each candidate may attend the office of the Returning Officer, who shall allow them to examine the nomination papers of all the candidates which have been received by him as aforesaid.

(2) The Returning Officer shall examine the nomination papers and decide all questions which may arise as to the validity of any nomination.

(3) The Returning Officer shall endorse on each nomination paper his decision either accepting or rejecting it and if the nomination paper is rejected, he shall record in writing a brief statement of his reasons for rejecting it.

12. Withdrawal of candidature.

(1) Any candidate may withdraw his candidature within seven days after the scrutiny of nomination papers by notice in writing signed by him and delivered to the Returning Officer.

(2) A candidate who has withdrawn his candidature shall not be allowed to cancel the withdrawal or to be renominated as a candidate for the same election.

(3) The Returning Officer shall, on receiving a notice of withdrawal, publish the fact of such withdrawal in the Official Gazette.

13. Poll.

(1) Where the number of candidates duly nominated is equal to or less than the number of members to be elected to represent the Ayurveda, Siddha or Unani System of Medicine, as the case may be, from the State concerned, the Returning Officer shall forthwith declare such candidates to be duly elected.

(2) Where the number of such candidates is less than the number of members to be so elected the Returning Officer shall commence fresh proceedings for the election of the remaining members to be elected under clause (a) of subsection (1) of Section 3.

(3) Where the number of such candidates exceeds the number of members to be elected to represent the Ayurveda, Siddha or Unani System of Medicine as the case may be, from the State concerned, the Returning Officer shall publish their names and addresses in the Official Gazette and shall further cause their names to be entered in the voting papers in Form II.

(4) If a poll is found necessary, the Returning Officer shall, thirty days before the date appointed therefor, send by post to each elector a letter of intimation in Form IV together with a numbered declaration paper in Form III, a voting paper in Form II containing the names of the candidates in alphabetical order and bearing the Returning Officer's initials or facsimile signature, a voting paper cover addressed to him (the Returning Officer) and an outer envelope also addressed to him and a certificate of posting shall be obtained in respect of each such letter of intimation sent to an elector:

Provided that the voting paper and other connected papers may also be sent to any elector on his applying to the Returning Officer for the same before the date appointed for the poll, if the Returning Officer is satisfied that the papers have not been sent to him.

(5) An elector who has not received the voting and other connected papers sent to him by post or who has lost them or in whose case the papers before their return to the Returning Officer have been inadvertently spoilt, may transmit a declaration to that effect signed by himself and request the Returning Officer not later than seven days before the date appointed for the poll to send him fresh papers and if the papers have been spoilt, the spoilt papers shall be returned to the Returning Officer who shall cancel them on receipt.

(6) In every case in which fresh papers are issued a mark shall be placed against the number relating to the elector's name in a copy of the State Register of Indian Medicine to denote that fresh papers have been issued.

(7) Each elector shall have as many votes as there are members to be elected from that State to represent the Ayurveda, Siddha or Unani Systems of Medicine, as the case may be, but shall give only one vote to any one candidate.

(8) No election shall be invalid by reason of the non-receipt by an elector of his voting paper.

14. Votes to be sent by registered post.

Every elector desirous of recording his vote shall, after filling up the declaration paper and the voting paper according to the directions given in the letter of intimation, enclose the voting paper in the voting paper cover, stick up the cover, enclose the cover and the declaration paper in the outer cover addressed to the Returning Officer and send the outer cover by registered post at the elector's own cost to the Returning Officer or deliver it in person in the office of the Returning Officer so as to reach him not later than 5.00 p.m. on the date fixed for the poll and all envelopes received after that day and hour or received by unregistered post shall be rejected.

15. Endorsement by Returning Officer.

On receipt of the envelopes containing the declaration paper and the closed cover containing the voting paper, the Returning Officer shall endorse on the outer envelope the date and hour of receipt.

16. Candidates may be present when registered covers are opened.

(1) The Returning Officer shall open the outer envelopes immediately after 5.00 p.m. on the day fixed for the poll at the place to which the envelopes are addressed to him.

(2) Any candidate may be present in person or may send a representative duly authorised by him in writing to attend at the time the outer envelopes are opened.

17. Rejection of voting papers.

(1) A voting paper cover shall be rejected by the Returning Officer if :—

(a) the outer envelope contains no declaration paper outside the voting paper cover ; or

(b) the declaration paper is not the one sent by the Returning Officer to the voter ; or

(c) the declaration paper is not signed by the elector ; or

(d) the voting paper is placed outside the voting paper cover ; or

(e) more than one declaration paper or voting paper cover have been enclosed in one and the same outer envelope ; or

(f) The State Registration number is not given by the elector in the declaration paper.

(2) In each case of rejection, the word 'Rejected' shall be endorsed on the voting paper cover, and also on the declaration paper if any,

(3) After satisfying himself that the electors have affixed their signature to the declaration papers, the Returning Officer shall keep all the declaration papers in safe custody, pending disposal under rule 20.

18. Scrutiny and counting of votes.

(1) The Returning Officer shall attend, for the purpose of scrutiny and counting of the votes on the date and at the time and place appointed by him in this behalf :

Provided that the date so appointed shall not be later than three days from the date fixed for the poll.

(2) All the voting paper covers, other than those rejected under rule 17, shall be opened and the voting papers taken out and mixed together and the voting papers shall then be scrutinised and the valid votes counted.

(3) A voting paper shall be invalid if—

(a) it does not bear the Returning Officer's initials, or facsimile signature ; or

(b) the voter signs his name or writes any word or makes any mark on it, by which it becomes recognizable as his voting paper ; or

(c) no vote is recorded thereon ; or

(d) the number of votes recorded thereon exceeds the number of seats to be filled ; or

(e) there is uncertainty of the vote exercised.

(4) Any candidate may be present in person or may send a representative duly authorised by him in writing to watch the process of counting.

(5) The Returning Officer shall show the voting papers, if requested to do so, to the candidates or their authorised representatives at the time of scrutiny and counting of votes.

(6) If any objection is made to any voting paper on the ground that it does not comply with the specified requirements or to any rejection by the Returning Officer of a voting paper, it shall be decided at once by the Returning Officer.

(7) The Returning Officer shall nominate such number of scrutinisers, who shall be Gazetted Officers of the Government, as he thinks fit.

19. Declaration of result.

(1) When the counting of the votes has been completed, the Returning Officer shall draw up a list of candidates in the order of highest votes polled by each candidate and shall declare the result of the successful candidates in the order of the highest vote polled by each and shall declare the result of the successful candidates in the order according to the number of seats to be filled up and shall forthwith inform the successful candidates by post or by hand or in such other manner as he thinks fit, of his being elected to the Council.

(2) When an equality of votes if found to exist among any candidates and there is difficulty in declaring the result, the determination of the person or persons, who shall be deemed to have been elected shall be made by lot to be drawn in the presence of the Returning Officer and in such manner as he may determine.

20. Voting papers to be retained for six months.

Upon the completion of the counting and after the result has been declared by him, the Returning Officer shall seal up the voting papers and all other documents relating to the election and shall retain the same for a period of six months and he shall not destroy or cause to be destroyed the records even after six months without the previous concurrence of the Central Government.

21. Result of Election.

The Returning Officer shall intimate the names of the elected candidates to the Central Government who shall take steps to publish the names of the elected persons in the Official Gazette.

ELECTIONS TO THE CENTRAL COUNCIL UNDER CLAUSE (b) OF SUB-SECTION (1) OF SECTION 3

22. Representaives of Universities.

(1) The President shall, not later than ninety days before the date of occurrence of a vacancy by the expiry of the term of office of a member from a University, send intimation thereof to the Central Government, who shall, not later than sixty days before the date of occurrence of the vacancy, forward a notice by registered post to the Registrar of the University concerned requesting him to hold an election by a date not later than the date specified in the notice.

(2) In the case of a vacancy occurring otherwise than as mentioned in sub-rule (1), the President shall notify the Central Government as soon as possible the occurrence of the vacancy and the Central Government shall thereupon forward a notice by registered post to the Registrar of the University concerned requesting him to hold an election to fill the vacancy by a date not later than the date specified in the notice.

(3) For the purpose of the first election under clause (b) of sub-section (1) of Section 3, it shall be sufficient if the Central Government forwards a notice by registered post to the Registrar of each University concerned requesting him to hold the election by a date not later than the date specified in the notice.

23. Election by Faculty or Department.

The members of the Faculty or Department (by whatever name called) of each of the Ayurveda, Siddha and Unani System of Medicine of the University shall elect one member for the respective system of medicine in such manner as the Vice-Chancellor of the University may think fit.

24. Intimation of name of elected person to the Central Government.

The name of the person elected shall be intimated by the Registrar of the University to the Central Government who shall take steps to publish the name of the elected person in the Official Gazette.

[No. V-26012/1/74-AE]

P. V. HARIHARASANKARAN, Dy

FORM I

Nomination Paper (See rule 8)

Election under clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970.

1. Name of candidate..............................
2. Father's name..................................
3. Age ....
4. Nature of qualification........................
5. Registration number in the State Register of Indian Medicine..............................
6. Address (Residential)..........................
7. Signature of proposer..........................
8. Registration number of proposer in the State Register of Indian Medicine ....
9. Signature of seconder..........................
10. Registration number of seconder in the State Register of Indian Medicine..............................

Declaration by the Candidate

I hereby declare that I agree to this nomination.

Signature of the candidate

This nomination paper was received by me at.......... hour on the..............(date).

Returning Officer

INSTRUCTIONS

1. Nomination papers which are not received by the Returning Officer before (hour) on the————(date) shall be rejected.

2. The names of the proposer and seconder, as they appear in the State Register of Indian Medicine and their registered qualifications should be clearly written below their respective signatures.

FORM II—VOTING PAPER

[See rule 13(3)]

Serial No.

Voting paper

(In words)* member/member (s) is/are to be elected under section 3(1) (a) of Indian Medicine Central Council Act 1970 to the Central Council of Indian Medicine.

Serial Number	**Names and addresses of candidates duly nominated to represent Ayurveda/Siddha/Unani system of medicine	Vote

Returning Officer

INSTRUCTIONS

1. Each elector has such number of votes as the number of members to be elected.

2. Each elector shall give only one vote to any one candidate.

3. He shall vote by placing the mark X opposite the name of the candidate/candidates whom he prefers.

4. The voting paper shall be invalid if:—

(a) it does not bear the Returning Officer's initials or facsimile signature; or

(b) the voter signs his name or writes any word or makes any mark on it, by which it becomes recognisable as his voting paper; or

(c) no vote is recorded thereon; or

(d) the number of votes recorded thereon exceeds the number of seats to be filled; or

(e) there is uncertainty of the vote exercised.

*number in words

**strike out whatever is inapplicable.

FORM III

[See rule 13(4)]

Declaration paper

Election to the Central Council of Indian Medicine under clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970.

Serial No.....................

Elector's name....................

Number on the State

Register of Indian

Medicine.————————

Elector's declaration.

I————————(Name in full, and designation, if any) declare that I am an elector for the Central Council of Indian Medicine by the electorate under clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 and that I have signed no other voting paper at this election.

Station———— Signature————

Date————

FORM IV

[See rule 13(4)]

Letter of intimation

Sir/Madam,

The persons whose names are printed on the voting paper sent herewith, have been duly nominated as candidates for election to the Central Council of Indian Medicine to represent the *Ayurveda/Siddha/Unani system of medicine. Should you desire to vote at the election, I request that you shall—

(a) fill up and sign the declaration paper;

(b) mark your vote/votes in the column provided for the purpose in the voting paper as directed on the voting paper;

(c) enclose the voting paper in the smaller cover hereafter called the voting paper cover; and stick it up; and

(d) enclose the smaller cover and the declaration paper in the outer envelope addressed to me and return the same to me by registered post or deliver it in person in my office so as to reach me not later than 5 P.M. on the————of 19 .

2. The voting paper cover shall be rejected, if————

(a) the outer envelope enclosing the voting paper cover is not sent by registered post or delivered in person in my office or is received later than the day and hour fixed for the closing of the poll; or

*strike out whatever is inapplicable.

(b) the outer envelope contains no declaration paper outside the voting paper cover ; or

(c) the declaration paper is not the one sent by the Returning Officer to the voter ; or

(d) the declaration paper is not signed by the elector ; or

(e) the voting paper is placed outside the voting paper cover ; or

(f) more than one declaration paper or voting paper cover have been enclosed in one and the same outer envelope ; or

(g) the State Registration number is not given by the elector in the declaration paper.

3. A voting paper shall be invalid, if :—

(i) it does not bear the Returning Officer's initials or facsimile signature ; or

(ii) the voter signs his name, or writes any word or makes any mark by which it becomes recognisable as his voting paper ; or

(iii) no vote is recorded thereon ; or

(iv) the numbre of votes recorded thereon exceeds the number of seats to be filled ; or

(v) there is uncertainty of the vote exercised.

4. If a voter inadvertently spoils a voting paper, he can return it, not later than seven days before the date appointed for the poll, to the Returning Officer who shall, if satisfied of such inadvertence, issue to him another voting paper.

5. The scrutiny and counting of votes shall begin on (date) at (hour) at (place).

6. No person shall be present at the time of scrutiny and counting of votes except the Returning Officer, such other persons as he may appoint to assist him and the candidates or their duly authorised representatives.

RETURNING OFFICER.

अनुशेष

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1975

सा०का०नि० 2351.--विलिंगडन अस्पताल तथा परिचर्या गृह, (श्रेणी III पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1975 से संबंधित इस मंत्रालय की दिनांक 28 जुलाई, 1975 की अधिसूचना संख्या ए. 12011/1/74-अस्प० के पैरा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित उप-खण्ड अन्तःस्थापित करें–

"ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।"

[संख्या : ए. 12011/1/74-अस्प०]

ADDENDUM

New Delhi, the 19th August, 1975

G.S.R. 2351.—Kindly insert the following sub-clause under para (1) to this *Ministry's Notification No. A. 12011/1/74-H* dated the 28th July, 1975, relating to the Willingdon Hospital and Nursing Home (Class III posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1975 :—

"They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette".

[No. A. 12011/1/74-H]

अनुशेष

सा०का०नि० 2352.--सफदरजंग अस्पताल (श्रेणी III) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1975 से संबंधित 28 जुलाई, 1975 की इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ए० 12011/1/74-अस्प० में पैरा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित उप-खण्ड अन्तःस्थापित करें—

"ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

[संख्या : ए० 12011/1/74-अस्प०]

वी० रामाचन्द्रन, अवर सचिव

G.S.R. 2352.—Kindly insert the following Sub-clause under para (1) to this Ministry's Notification No. A. 12011/1/74-H dated the 28th July, 1975, relating to the Safdarjang Hospital (Class III posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1975 :—

"They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette".

[No. A. 12011/1/74-H]

V. RAMACHANDRAN, Under Secy.

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1975

सा. का. नि. 2353.—केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की 14 अगस्त, 1974 की सं. सा. का. नि. 366(इ) की अधिसूचना जो 14 अगस्त, 1974 के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 2 खंड 3 उपखंड (1) में प्रकाशित की गई हैं, के पृष्ठ 1648 की पांचवीं पंक्ति में "वन्य प्राणि (व्यापार तथा चरम संस्कार) नियम 1974" के स्थान पर "उड़ीसा वन्य प्राणि (व्यापार तथा चरम संस्कार) नियम 1974" पढ़ा जाए ।

[सं. जे. 11012/9/75-एफ. आर. वाई. (डब्ल्यू. एल. एफ.)]

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st August, 1975

G.S.R. 2353.—In the notification of the Government of India in the late Ministry of Agriculture (Department of Agriculture), No. G.S.R. 366(E), dated the 14th August, 1974, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 14th August, 1974, at page 1648, in line 5, for "Wild Life (Transactions and Taxidermy) Rules, 1974", read "Orissa Wild Life (Transaction and Taxidermy) Rules, 1974."

[No. J. 11012/9/75-FRY(WLF)]

शुद्धिपत्र

सा. का. नि. 2354.—केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की 14 अगस्त, 1974 की सं. सा. का. नि. 365(इ) की

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 15, 2012/फाल्गुन 25, 1933
No. 112] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 15, 2012/PHALGUNA 25, 1933

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

[आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2012

सा.का.नि. 151(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 4 और धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) नियम, 1975 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) संशोधन नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) नियम, 1975 में, नियम 24 के पश्चात्, अंत में निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"25. किसी निर्वाचन को शून्य घोषित करने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, किसी निर्वाचन के लिए, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन उसे निर्दिष्ट किए गए किसी निर्वाचन विवाद के संबंध में, निर्वाचन को रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव या ऐसे अन्य भ्रष्ट आचरण के कारण, जिसने केन्द्रीय सरकार की राय में, स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन पर असर डाला है, शून्य घोषित कर सकेगी ।

(2) इस नियम के अधीन केन्द्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा ।"

[फा. सं. ए-11019/10/2012-आरडी/सीसीआईएम (निर्वाचन)]

विक्रम सिंह गौड़, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र मे, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 2350, तारीख 14 अगस्त, 1975 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

[Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2012

G.S.R. 151(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 and Section 35 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government hereby makes the following rule to amend the Indian Medicine Central Council (Election) Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Medicine Central Council (Election) Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Medicine Central Council (Election) Rules, 1975, after Rule 24, the following rule shall be added at the end, namely :—

"25. Power to declare any election void—(1) The Central Government may, on any election dispute referred to it under sub-section (2) of Section 4 of the Act, for an election, within a period of thirty days from the date of election of the elected candidate, declare the election to be void on account of bribery, undue influence or other corrupt practice which, in the opinion of the Central Government, has interfered with the free and fair conduct of the election and shall conduct a fresh election.

(2) The decision of the Central Government under this rule shall be final."

[F. No. A-11019/10/2012-RD/CCIM (Election)]

VIKRAM SINGH GAUR, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 2350, dated the 14th August, 1975.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 18, 2012/वैशाख 28, 1934
No. 221] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 18, 2012/VAISAKHA 28, 1934

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2012

सा.का.नि. 372(अ).— केन्द्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा और धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) नियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् : -

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) दूसरा संशोधन नियम 2012 है ।

(2) ये नियम उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) नियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, के नियम 2 के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(घ) "रिटर्निंग आफिसर" से इन नियमों के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सिफारिशों पर नियुक्त, यथास्थिति संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र का संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की प्रशासनिक सेवाओं में से है :

परंतु संबद्ध बोर्ड का रजिस्ट्रार (चाहे किसी नाम से ज्ञात हो) जो राज्य में व्यवसायियों का रजिस्टर रखता हो, रिर्टनिंग आफिसर के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ;" ।

3. उक्त नियमों के नियम 4 में उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनिग्रम रखा जाएगा अर्थात् :-

"(3) उपनियम (2) में यथाउल्लिखित एक मास की नोटिस की समाप्ति के पश्चात्, निर्वाचन नियत तारीख को उपलब्ध रजिस्टर में अभ्यावेशित नामों के अनुसार संचालित किया जाएगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार संबद्ध राज्य बोर्ड जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के खंड 2(ञ) में यथापरिभाषित राज्य के रजिस्टर को रखे जाने के लिए उत्तरदायी है, के रजिस्ट्रार द्वारा रिटर्निंग आफिसर को यथाउपलब्ध कराए गए राज्य रजिस्टर में किसी अनियमितता के विषय में, निर्वाचन से पूर्व या उसके पश्चात् इसे निर्दिष्ट किसी विवाद पर विचार नहीं करेगी" ।"

4. उक्त नियमों के नियम 22 में उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(4) विश्वविद्यालयों की चिकित्सा की आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी प्रणाली में आयुर्वेद सिद्ध के संकाय या विभाग (चाहे वे किसी नाम से ज्ञात हों) की सदस्यता से संबंधित मुद्दे संबद्ध विश्वविद्यालयों द्वारा इसकी उपविधियों और परिनियमों द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे ।"

5. उक्त नियमों के नियम 25 के पश्चात् अंत में निम्नलिखित नियम जोड़े जाएंगे अर्थात् :-

"**26. प्रेक्षक**-(1) केन्द्रीय सरकार निर्वाचनों के संचालन को मानीटर करने के लिए और ऐसे अन्य कृत्य जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे सौंपे जा सकें, का पालन करने के लिए किसी प्रेक्षक को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

(2) प्रेक्षक, नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत दिन को अभिहित स्थान में उपस्थित रहेगा और मतों की संवीक्षा और गणना के लिए नियत दिन को अभिहित स्थान में उपस्थित रहेगा और वह केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

27. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उठे विवादों की जांच करने के लिए रिटर्निंग आफिसर या विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार -

इन नियम में अंतर्वष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति रिटर्निंग आफिसर या रजिस्ट्रार निर्वाचन प्रक्रिया अर्थात् नामनिर्देशन पत्र की प्राप्ति की तारीख से परिणाम की घोषणा की तारीख तक, के दौरान उठे विवादों का विनिश्चय करेगा :

परंतु केन्द्रीय सरकार इस बात को ध्यान दिए बिना कि रिटर्निंग आफिसर या रजिस्ट्रार के समक्ष उठे वही विवादों का विनिश्चय किया गया है या नहीं, ऐसे सभी मुद्दों का विनिश्चय करेगी यदि उसे नियम 25 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजा जाता है ।

28. निर्वाचन विवादों से संबंधित प्रक्रिया :--

(1) केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन विवाद की प्राप्ति के पश्चात् किसी निर्वाचन के संबंध में उस विवाद की जांच करने के लिए एक जांच अधिकारी को नियुक्त करेगी जो भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा ।

(2) जांच अधिकारी, अपनी नियुक्ति के एक सप्ताह के भीतर विवाद के पक्षकारों को उनसे यह पूछते हुए कि विवाद पर युक्तियुक्त समय के भीतर जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सके, लिखित में कथन प्रस्तुत करे, यदि कोई है, सुनवाई सूचना भेजेगा और सुनवाई के लिए तारीख भी नियत करेगा ।

(3) कथन के प्रस्तुत किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट समाप्ति के पश्चात् जांच अधिकारी ऐसी तारीख और ऐसे समय पर तथा ऐसे स्थान पर विवाद की सुनवाई करेगा जिसे इस बात को ध्यान दिए बिना विनिर्दिष्ट किया गया है कि लिखित कथन प्राप्त हुआ है या नहीं और पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

(4) विवाद के सभी पक्षकारों को केवल व्यक्तिगत रूप में जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित रहने का अधिकार होगा ।

(5) विवाद से संबंधित पक्षकारों की अनुपस्थिति पहले ही से नियत तारीख को सुनवाई के लि मुल्तवी होने का आधार नहीं होगा और सुनवाई एक पक्षीय अग्रसर रहेगी ज़ब तक कि अनुपस्थिति की परिस्थितियां पक्षकारों के नियंत्रण के परे न हों ।

(6) जांच की किसी अवस्था के दौरान, जांच अधिकारी को ऐसे अन्य दस्तावेज और व्यक्तियों की परीक्षा करने का अधिकार होगा जो उसके द्वारा जांच के संचालन के लिए आवश्यक समझे जाएं ।

(7) सभी संबद्ध पक्षकारों को सुने जाने के पश्चात्, जांच अधिकारी अपनी नियुक्ति के साठ दिन की अवधि के भीतर एक जांच रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे केन्द्रीय सरकार को उसके विचार और विनिश्चय के लिए प्रस्तुत करेगा ।

(8) केन्द्रीय सरकार, जांच अधिकारी द्वारा यथारूप से प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट पर विनिश्चय करने का प्रयास करेगी और विवाद पर अपने विनिश्चय को जांच रिपोर्ट की प्राप्त के तीस दिन के भीतर संसूचित करेगी ।

29. रजिस्ट्रार द्वारा मतपत्रों का छह मास के लिए प्रतिधारित किया जाना : - "गणना के पूरा होने पर और उसके द्वारा परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात्, रजिस्ट्रार मतपत्रों और निर्वाचन से संबंधित सभी अन्य दस्तावेजों को मुहरबंद करेगा और छह मास की अवधि के लिए उसे प्रतिधारित करेगा और वह केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति के बिना छह मास के पश्चात भी अभिलेखों को न तो नष्ट करेगा और न ही नष्ट कराएगा ।"

[फा. सं. ए-11019/10/12-आरडी/सीसीआईएम (निर्वाचन)]

बाला प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्यांक 2350, तारीख 14 अगस्त, 1975 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि. संख्यांक 151(अ), तारीख 15 मार्च, 2012 संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2012

G.S.R. 372(E).— In exercise of the powers conferred by section 4 and section 35 of the Indian Medicine Central Council Act,1970 (*48* of 1970), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Medicine Central Council (Election) Rules, 1975, namely :-

1 (1) These rules may be called the Indian Medicine Central Council (Election) Second Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Medicine Central Council (Election) Rules, 1975, (hereinafter referred to as the said rules), for clause (d) of rule 2, the following clause shall be substituted, namely:-

"(d) Returning Officer' means any officer of the State Government or the Union territory, as the case may be, who is from the administrative services of the State Government or the Union territory, not below the rank of a Joint Secretary to the State Government or the Union territory concerned, appointed on the recommendations of the State Government or the Union territory as such by the Central Government for the purposes of these rules:

provided that the Registrar of the concerned Board, (by whatever name called) who maintains the register of practitioners in the State shall not be appointed as the Returning Officer;".

3. In the said rules, in rule 4, after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted namely :-

"(3) After expiry of one month's notice as mentioned in sub-rule (2), the elections shall be conducted as per the names enrolled in the register available as on date:

Provided that the Central Government shall not entertain any dispute referred to it, before or after the election, with regard to any irregularities in the State register as made available to the Returning Officer by the Registrar of the concerned State Board who is responsible for maintaining the State Register, as defined in clause 2 (j) of the Indian Medicine Central Council Act, 1970"."

4. In the said rules, in rule 22, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(4) The issues relating to the eligibility of the members of the faculty or Department (by whatever name called), of the Ayurveda, Siddha and Unani Systems of medicines the Universities shall be decided by the University concerned as per its bylaws and Statutes."

5. In the said rules, after rule 25, the following rules shall be added at the end, namely:-

" 26. Observer – (1) The Central Government shall nominate an observer to monitor the conduct of election and to perform such other functions as may be entrusted to him by the Central Government.

(2) The Observer shall be present at the designated venue on the day fixed for scrutiny of nomination papers and shall also be present at the designated venue on the day fixed for scrutiny and counting of votes and shall submit his report to the Central Government.

27. Returning officer or Registrar of Universities to inquire into disputes raised during election process –

Notwithstanding anything contained in the rules, the Returning officer or the Registrar, as the case may be, shall decide into the disputes raised during the election process i.e. from date of receipt of the nomination papers till the date of declaration of result:

1777 GI/12-2

Provided that the Central Government shall decide all such issues if referred to it within the time period specified in rule 25, irrespective of whether or not the same disputes raised before the Returning Officer or the Registrar has been decided or not.

28. Procedure for dealing with election disputes

(1)The Central Government, after receipt of dispute under sub-section (2) of section 4 of the Act regarding any election, shall appoint an Inquiry officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India to inquire into that dispute.

(2)The Inquiry officer within one week of his appointment shall send notice of hearing to the parties to the dispute asking them to submit statements in writing, if any, on the dispute within reasonable time as may be specified by him and shall also fix the date of hearing.

(3)After the expiry of the time specified for submission of statements, the Inquiry officer shall hear the dispute on such date and at such time and place as has been specified irrespective of whether written statement have been received or not and shall give reasonable opportunity to the parties to be heard.

(4)All parties to the dispute shall have the right to appear before the Inquiry officer, only in person.

(5) Non-appearance of the parties to the dispute shall not be a ground for postponement of hearing on the date already fixed and the hearing shall proceed ex-parte until circumstances of non-appearance are beyond the control of the parties.

(6) During any stage of inquiry, the Inquiry officer shall have the right to examine such other documents and persons as deemed necessary by him for conduct of inquiry.

(7) After hearing all the concerned parties, the Inquiry officer shall prepare an inquiry report within a period of sixty days of his appointment and submit it to the Central Government for its consideration and decision.

(8) The Central Government shall endeavor to take a decision on the Inquiry report as submitted by the Inquiry officer and communicate its decision on a dispute within thirty days of receipt of the Inquiry report.

29. Voting papers to be retained for six months by the Registrar:- "Upon the completion of the counting and after the result has been declared by him, the Registrar shall seal up the voting papers and all other documents relating to the election and shall retain the same for a period of six months and he shall not destroy or cause to be destroyed the records even after six months without the previous concurrence of the Central Government.".

[F. No. A-11019/10/12-RD/CCIM (Election)]

BALA PRASAD, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R 2350, dated the 14th August, 1975 and subsequently amended vide number G.S.R. 151(E), dated the 15th March,2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.